संख्या–3692/बयालिस–2010–15–निर्माण/2009

प्रेषक,

कुमार अरविन्द सिंह देव
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेलकूद उत्तर प्रदेश,
खेल निदेशालय, लखनऊ।

खेलकूद अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 13 दिसम्बर, 2010

विषयः–जनपद–मिर्जापुर में स्पोर्ट्स स्टेडियम के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–3498/बयालिस–2009–15 - निर्माण/2009, दिनांक 28–2–2010 एवं आपके पत्र संख्या–जी 606/नि0 सोनभद्र कन्डीशनिंग हाल/2008–09 दिनांक 01–11–2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2010–11 में जनपद–मिर्जापुर में स्पोर्ट्स स्टेडियम के निर्माण हेतु द्वितीय किश्त के रूप में रू0 1,12,01,000/–(रू0 एक करोड़, बारह लाख, एक हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान करते हैः–

I– उपरोक्त स्वीकृत धनराशि रू0 1,12,01,000/–(रू0 एक करोड़, बारह लाख, एक हजार मात्र) निदेशक खेल द्वारा कोषागार से आहरित करके संबंधित कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड को उंपलब्ध करायी जायेगी। उक्त धनराशि की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2010–11 में उपलब्ध परिव्यय एवं बजट सीमा के अन्तर्गत दी जा रही है।

II– यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पूर्व में इस योजना हेतु किसी अन्य स्रोत से धनराशि न दी गयी हो, न ही प्रश्नगत कार्य किसी कार्य योजना में वित्तपोषण हेतु प्रस्तावित है।

III– प्रश्नगत कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व डी0पी0आर0 बनाते हुए शासनादेश दिनांक 2 मार्च, 2006 के आलोक में सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी।

IV– कार्यो को पूर्णगुणवत्ता/ मानको एवं विशिष्टियों के अनुरूप स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा, तथा पुनरीक्षित लागत की मांग नहीं की जायेगी। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/निदेशक, खेल का होगा।

V– स्वीकृति धनराशि का आहरण व्यय की आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृति धनराशि का पूर्ण उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

.....2/-

v।– परियोजना की लागत में टाइम ओवररन एवं कास्ट ओवररन के सम्बन्ध में दिनां जुलाई, 2002 में दिए गये निर्देशो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

v।। प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृत प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण प्रार कराया जायेगा । प्रश्नगत कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं म पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो इसे निदेशक, खेल एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

2–उक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2010–11 में अनुदान संख्या–22 के लेखाशीर्षक– 4202–शिक्षा खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय– आयोजनागत–03 खेलकूद तथा युवा सेवा–800 अन्य व्यय–11–जनपद मिर्जापुर में स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण –24 वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3–उक्त स्वीकृति वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–ई–1–961/ दस–2010–231/2010 दिनांक : 26 मार्च, 2010 में प्रस्तर–8 में प्रतिनिधानित अधिकारो के तहत निर्गत की जा रही है।

भवदीय,

12.10

(कुमार अरविन्द सिंह देव)
प्रमुख सचिव।

संख्या–3692(1)/बयालिस–2010–तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उ0प्र0 (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2– महालेखाकार (लेखा परीक्षा)प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3– कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ।
4– जिलाधिकारी, मिर्जापुर ।
5– प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड 19 विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
6– वित्त (आय–व्ययक)अनुभाग–1/2
7– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–5
8– नियोजन अनुभाग–4
9– मीडिया सलाहकार मा0 मुख्यमंत्री जी उ0प्र0शासन।
10–निजी सचिव मा0 मंत्रीजी/प्रमुख सचिव, खेल एवं युवा कल्याण उ0प्र0 शासन।
11–क्षेत्रीय कीड़ाधिकारी/कीड़ाधिकारी, मिर्जापुर, विंध्याचल मण्डल।
12–गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
अनु सचिव।

Malamal-2009-10